न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 103/2018

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. भंवरलाल 2. भीकाराम 3. देवाराम पिसरान रामलाल 4. केवलचंद 5. सोहनलाल 6. मोहनलाल पिसरान कुशालराम 7. मांगीलाल 8. पप्पुराम 9. नाराराम पिसरान चुनाराम 10. डूगलाराम 11. अमराराम 12. केवलचंद पिसरान वचनाराम 13. मगलाराम पुत्र केसाराम जातिगण माली निवासी गणसोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0।		1. रामचन्द्र 2. लक्ष्मण पिसरान दीपारामजातिगणमाली निवासीगणसोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0। 3. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व अन्तर्गत धारा 88 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्तागण वादीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 03/02/22

अधिवक्ता मय वादीगण ने यह राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में खसरा नम्बर 6158, 6159, 6164 से 6173, 6179 से 6193, 6199, 6200, 6201 से 6210 कुल खसरा संख्या 39 कुल रकबा 4.7100 हैक्टर किस्म चा0प्र0 व अव्वल, मेहन्दी, गै.मु. रास्ता, जा.अ., गै.मु. बेरा, गै.मु. तेड वादस्थ भूमि स्थित हैं। उक्त वर्णित वादस्थ आराजीयात कृषि भूमिवादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की आई हुई स्थित है, जिसमें वादी संख्या 1 से 3 का 1/6 हक हिस्सा, वादी संख्या 4 से 6 का 1/6 हक हिस्सा, वादी संख्या 7 से 9 का 1/6 हक हिस्सा, वादी संख्या 10 से 12 का 1/6 हक हिस्सा, वादी संख्या 13 का 1/6 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 का 1/6 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का है। वादस्थ आराजीयात कृषि भूमि का सभी खातेदारान के बीच बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया हुआ नहीं है। जिससे उक्त कृषि भूमि में वादीगण को काश्त करने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त कृषि भूमि के खसरान के छोटे छोटे रकबे किये हुए होने से खातेदारान के मध्य धोरा—पाली एवं माठों को लेकर तथा ट्रेक्टर से खड़ाई करते समय वाद विवाद उत्पन्न होता रहता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीगण के कब्जे काश्त में अवरोध एवं दखलअन्दाजी पैदा करते रहते है। दिनांक 26.06.2018 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादस्थ आराजीयात की कृषि भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स सही नाप चौक करवाने के बाद ही तारबंदी करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादीगण को एलानियां धमकीयां दी कि वादस्थ आराजीयात की कृषि भूमि को भू—माफियों को बेचान, हस्तान्तरण कर देंगे तथा उक्त कृषि भूमि में काश्त भी नहीं करने देंगे। जिसका प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कतई हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा वादस्थ आराजीयात का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने से साफ इन्कार कर देने के कारण वादीगण के पास वाद पेश करने के अलावा

उप खण्ड अधिकारी

अन्य कोई विकल्प नहीं रहने से यह वाद श्रीमान के समक्ष पेश है। वादस्थ आराजीयात कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में खातेदारान का हिस्सा दर्ज किया हुआ नहीं है। जबकि वादस्थ आराजीयात में वादी संख्या 1 से 3 का 1/6 हक हिस्सा, वादी संख्या 4 से 6 का 1/6 हक हिस्सा, वादी संख्या 7 से 9 का 1/6 हक हिस्सा, वादी संख्या 10 से 12 का 1/6 हक हिस्सा, वादी संख्या 13 का 1/6 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 का 1/6 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का है तथा वादीगण उक्त माफिक हिस्सानुसार वादस्थ आराजीयात कृषि भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने हेतु यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश है तथा प्रतिवादीगण वादस्थ आराजीयात कृषि भूमि को बिना विधिक बंटवाड़ा करवाए किसी अन्य भू–माफियों को बेचान हस्तान्तरण कर वादीगण को बेदखल करने पर आमदा है तथा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी पैदा करना शुरू कर दिया है, जिसे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इसलिये यह वाद बाबत बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी हिस्सा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश है। वाद बाबत बंटवाड़ा का होने से एवं प्रतिवादी संख्या 3 भूमि धारक तहसीलदार सोजत आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है। बिनायदावा दिनांक 26.06.2018 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को वादस्थ आराजीयात का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा बंटवाड़ा करने से साफ इंकार कर देने एवं वादीगण को वादस्थ आराजीयात से बेदखल कर बेचान, हस्तान्तरण आदि करने एवं काश्त नहीं करने देने से धमकीयां देने से बमुकाम सोजत चक–1 में उत्पन्न हुआ, जो वाद अन्दर म्याद पेश है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण ने उक्त राजस्व वाद पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर वर्णित सरहद मौजा सोजत चक प्रथम की वादस्थ कृषि भूमि में वादी संख्या 1 से 3 को 1/6 हक हिस्सा, वादी संख्या 4 से 6 को 1/6 हक हिस्सा, वादी संख्या 7 से 9 को 1/6 हक हिस्सा, वादी संख्या 10 से 12 का 1/6 हक हिस्सा, वादी संख्या 13 को 1/6 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 को 1/6 हक हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने वर्णित कृषि भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स वादीगण के हक हिस्से अनुसार किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अलग से दर्ज किया जाने एव माफिक बंटवाड़ा नक्शा लट्टा में तरमीम किया जाकर लगान भी अलग से मुकर्रर किया जाने तथा वादीगण की भूमि में दखलअन्दाजी नही करने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। दिनांक 21.10.2020 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को बावजूद तामिल/सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार सोजत ने जबाब दावा प्रस्तुत कर वादस्थ भूमि सोजत चक प्रथम में स्थित होना, वाद वादी एवं प्रतिवादी का आपसी बंटवाडा बाबत का होना बताया है। प्रतिवादी संख्या 03 से संबंधित वाद नही होना अंकित किया। तहसीलदार सोजत ने उक्त वाद में राज्य सरकार का कोई हित प्रभावित नही होने से जबाब की आवश्यक नही होना अंकित किया है। इस प्रकार कोई प्रतिकारात्मक टिप्पणी नही होने से पत्रावली वास्ते शहादत वादी हेतु मुकरर्र हुई। अधिवक्ता वादी ने शहादत वादीगण पी डब्ल्यु –1 अमराराम तथा अन्य गहावान के तस्दीक सुदा शपथ – पत्र पेश कर मुख्य परीक्षण हेतु बयान कलमबद्ध करवाये गये जो पी डब्ल्यु –1 से पी डब्ल्यु 5 के करवाये सा0मि0 है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा जमाबन्दी सम्वत 2070–73 प्रदर्श –1 है प्रदर्शित करवाये गये। जिरह प्रतिवादी शुन्य रही ।

बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने व्यक्त किया कि । वादीगण अपनी भूमि का बाई मिट्स एण्ट बंटवाडा करवाना चाहता है तथा राजस्व रेकर्ड में वादस्थ भूमि में अपने हिस्से अनुसार हिस्सा दर्ज करवाना चाहता है। कृषि भूमि में वादी संख्या 1 से 3 का 1/6 हक हिस्सा, वादी संख्या 4 से 6 को 1/6 हक हिस्सा, वादी संख्या 7 से 9 को 1/6 हक हिस्सा, वादी संख्या 10 से 12 का 1/6 हक हिस्सा, वादी संख्या 13 को 1/6 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 को 1/6 हक हिस्सा बनता है तदोनुसार हिस्सा वादस्थ भूमि में वादी एवं प्रतिवादी का दर्ज किया जावे। जबाब बहस में तहसीदार सोजत ने काई आपति नही होना जाहिर किया।

उप खण्ड अधिकारी

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 अनुसार वादस्थ भूमि में रामलाल पुत्र पुनाराम, केवलचन्द सोहनलाल मोहनलाल पिता कुशालराम, अणचाई पत्नि चुनाराम मांगीलाल पपुलाल नाराराम पि0 चुनाराम दीपाराम पुत्र पनाराम ढगलाराम अमराराम केवलचन्द पि0 वचनाराम उर्फ वचना मंगलाराम पुत्र केसाराम कौम माली दर्ज है। इसमें ना0सं0 4254 दिनांक 07.03.2018 के द्वारा विरासत व हकतर्क से अणचाई पत्नी चूनाराम के स्थान पर मांगीलाल पप्पूलाल नाराराम पि. चूनाराम का इंदाज किया गया। इसी प्रकार ना0सं0 4255 के द्वारा विरासत व हकतर्क से रामलाल पुत्र पुनाराम के स्थान पर भंवरलाल भीकाराम देवाराम पि0 रामलाल का नाम दर्ज किया गया। ना0सं0 4253 के द्वारा विरासत व हकतर्क से दीपाराम पुत्र पनाराम के स्थान पर रामचन्द्र लक्ष्मणराम पि0 दीपाराम दर्ज की गया। जिससे रामलाल पुत्र पुनाराम के स्थान पर जरिये ना.क. संख्या 4255 दर्ज नाम भंवरलाल, भीकाराम, देवाराम पिता रामलाल वादी संख्या 1 से 3 को 1/6, वादी सख्या 4 से 6 केवलचन्द्र सोहनलाल मोहनलाल पि0 कुशालराम 1/6, अणचाई पत्नि चुनाराम का देहान्त हो जाने से इनका हिस्सा इनके पुत्र वादी संख्या 7 से 9 मांगीलाल, पप्पूलाल, नाराराम पि0 चूनाराम में समाहित होने से इन्है 1/6 हिस्से का, वादी संख्या 10 से 11 ढगलाराम अमराराम केवलचन्द्र पि. वचना उर्फ वचना को 1/6 का वादी संख्या 12 मंगलाराम पुत्र केसाराम को 1/6 का तथा दीपाराम पुत्र पनाराम के स्थान पर ना0सं 4253 के जरिये दर्ज वारिस प्रतिवादी 1 व 3 रामचन्द्र, लक्ष्मण पुत्र दीपाराम को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा वादस्थ भूमि का बाई मिट्स एवं बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिकी जारी कर आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। प्राथमिक डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में खसरा नम्बर 6158, 6159, 6164 से 6173, 6179 से 6193, 6199, 6200, 6201 से 6210 खसरा संख्या 39 कुल रकबा 4.7100 हैक्टर किस्म चा.प्र. अव्वल जा0प्रा0., चा.प्र.जा.प्र., मेहन्दी, गै.मु. रास्ता, गै.मु. बेरा, गै.मु. तेड की कृषि भूमि मैं रामलाल पुत्र पुनाराम के स्थान पर जरिये ना.क. संख्या दर्ज नाम भंवरलाल, भीकाराम, देवाराम पिता रामलाल वादी संख्या 1 से 3 को 1/6, वादी सख्या 4 से 6 केवलचन्द्र सोहनलाल मोहनलाल पि0 कुशालराम 1/6, अणचाई पत्नि चुनाराम का देहान्त हो जाने से इनका हिस्सा इनके पुत्र वादी संख्या 7 से 9 मांगीलाल, पप्पूलाल, नाराराम पि0 चूनाराम में समाहित होने से इन्है 1/6 हिस्से का, वादी संख्या 10 से 11 ढगलाराम अमराराम केवलचन्द्र पि. वचना उर्फ वचना को 1/6 का वादी संख्या 12 मंगलाराम पुत्र केसाराम को 1/6 का तथा दीपाराम पुत्र पनाराम के स्थान पर ना0सं 4253 के जरिये दर्ज वारिस प्रतिवादी 1 व 3 रामचन्द्र, लक्ष्मण पुत्र दीपाराम को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने के तहसीलदार सोजत को आदेश दिये जाते है। तत्पश्चात उक्त वादस्थ कृषि भूमि का पक्षकारानों में उनके हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कर पृथक पृथक खसरा रकबा व लगान का निर्धारण कर प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेश दिये जाते हे। डिकी प्रर्चा मूर्तीब हो। तहसीलदार, सोजत को प्राथमिक डिक्री पर्चा व निर्णय की प्रमाणित छायाप्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 03/08/22 को सरे ईजलास लिखवाया जाकर मेरे द्वारा सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

प्राथमिक डिक्री बमुकदमें बंटवारा
(आदेश 20 नियम 6 / जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
बइजलास श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या — 103 / 2016

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

वादीगण:

1. भंवरलाल
2. भीकाराम
3. देवाराम पिसरान रामलाल
4. केवलचंद
5. सोहनलाल
6. मोहनलाल पिसरान कुशालराम
7. मांगीलाल
8. पप्पुराम
9. नाराराम पिसरान चुनाराम
10. ढगलाराम
11. अमराराम
12. केवलचंद पिसरान वचनाराम
13. मंगलाराम पुत्र केसाराम जातिगण माली निवासी गणसोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0।

प्रतिवादीगण:

1. रामचन्द्र
2. लक्ष्मण पिसरान दीपाराम जातिगण माली निवासीगण सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0।
3. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्तागण वादीगण उपस्थित

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में खसरा नम्बर 6158, 6159, 6164 से 6173, 6179 से 6193, 6199, 6200, 6201 से 6210 खसरा संख्या 39 कुल रकबा 4.7100 हैक्टर किस्म चा.प्र. अव्वल जा0प्रा0., धा.प्र.जा.प्र., मेहन्दी, गै.मु. रास्ता, गै.मु. बेरा, गै.मु.तेड़ की कृषि भूमि में रामलाल पुत्र पुनाराम के स्थान पर जरिये ना.क. संख्या दर्ज नाम भंवरलाल, भीकाराम, देवाराम पिता रामलाल वादी संख्या 1 से 3 को 1/6, वादी संख्या 4 से 6 केवलचन्द्र सोहनलाल मोहनलाल पि0 कुशालराम 1/6, अणचाई पत्नि चुनाराम का देहान्त हो जाने से इनका हिस्सा इनके पुत्र वादी संख्या 7 से 9 मांगीलाल, पप्पूलाल, नाराराम पि0 चूनाराम में समाहित होने से इन्है 1/6 हिस्से का, वादी संख्या 10 से 11 ढगलाराम अमराराम केवलचन्द्र पि. वचना उर्फ वचना को 1/6 का वादी संख्या 12 मंगलाराम पुत्र केसाराम को 1/6 का तथा दीपाराम पुत्र पनाराम के स्थान पर ना0सं 4253 के जरिये दर्ज वारिस प्रतिवादी 1 व 3 रामचन्द्र, लक्ष्मण पुत्र दीपाराम को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने के तहसीलदार सोजत को आदेश दिये जाते है। तत्पश्चात उक्त वादस्थ कृषि भूमि का पक्षकारानों में उनके हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कर पृथक पृथक खसरा रकबा व लगान का निर्धारण कर प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेश दिये जाते हे। तहसीलदार, सोजत को प्राथमिक डिक्री पर्चा व निर्णय की प्रमाणित छायाप्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें।

मीजान–– मुबलिग –– बाबत ––

खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 03/08/22 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	शुन्य	शुन्य	[illegible]	शुन्य	शुन्य
[illegible]	शुन्य	शुन्य	[illegible]	शुन्य	शुन्य
[illegible]	शुन्य	शुन्य	[illegible]	शुन्य	शुन्य
[illegible]	शुन्य	शुन्य	[illegible]	शुन्य	शुन्य
[illegible]	शुन्य	शुन्य	[illegible]	शुन्य	शुन्य
[illegible]	शुन्य	शुन्य	[illegible]	शुन्य	शुन्य
[illegible]	शुन्य	शुन्य	[illegible]	शुन्य	शुन्य
[illegible]	शुन्य	शुन्य			